रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2024] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 18, 2015/भाद्र 27, 1937
No. 2024] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 18, 2015/BHADRA 27, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2015

का.आ. 2572(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) के अधीन जारी अधिसूचना संख्यांक का0आ0 1533 (अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा निदेश दिया था कि इसके प्रकाशन की तारीख से ही नई परियोजनाओं या कार्यकलापों का संनिर्माण या उक्त अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध विद्यमान परियोजनाओं या कार्यकलापों का विस्तार या आधुनिकीकरण प्रक्रिया और या प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के साथ पश्चातवर्ती क्षमता वर्धन भारत के किसी भी भाग में, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यकत: गठित राज्य स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा पूर्व पर्यावरण निकासी के पश्चात् ही उसमें विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार हाथ में लिया जाएगा।

और माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण की प्रधान न्यायपीठ ने मैसर्स अर्डेंट स्टील लिमिटेड, उड़ीसा बनाम भारत संघ के मामले में 2014 की अपील सं0 5, तारीख 27 मई, 2014 में अपने आदेश द्वारा अभिनिर्धारित किया कि गुटिकाकरण संयंत्र पर्यावरण संघात निर्धारण अधिसूचना 2006 के अधीन आते हैं और पूर्व पर्यावरण निकासी ली जानी चाहिए और उसमें विद्यमान गुटिकाकरण संयंत्रों को ऐसी निकासी अभिप्राप्त करने के लिए एक वर्ष का समय दिया था ;

और गुटिका विनिर्माताओं से पर्यावरण निकासी अभिप्राप्त करने के लिए लोक परामर्श करने से छूट की वांछा के लिए अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, चूंकि वे एकल गुटिकाकरण संयंत्रों का पहले से ही प्रचालन कर रहे हैं और अनावश्यक कठिनाइयों को कम करने के लिए यह विनिश्चय किया गया है कि गुटिकाकरण संयंत्रों को लोक परामर्श की प्रक्रिया से छूट प्रदान करना अनुज्ञात किया जाए ;

और उक्त पर्यावरण (संरक्षण) नियम का नियम 5 का उपनियम (3) का खंड (क) यह उपबंध करता है कि जब केंद्रीय सरकार यह विचार करे कि किसी क्षेत्र में किसी उद्योग या किसी प्रसंस्करण या प्रचालन पर कोई प्रतिषेध या निर्बंधन अधिरोपित किया जाना चाहिए तो वह ऐसा करने के अपने आशय की सूचना देगी ;

और उक्त पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उपनियम (4) यह उपबंध करता है कि उपनियम (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन, लोक हित में सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति दे सकेगी ;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात :-

उक्त अधिसूचना में स्तर (3)- लोक परामर्श से संबंधित पैरा 7 के उपपैरा III में खंड (i) में उपखंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(ज) सभी एकल गुटिकाकरण संयंत्र, जो 27 मई, 2004 को या उससे पूर्व विद्यमान थे और प्रचालन में थे और जिनके पास संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति से स्थापना और प्रचालन की वैध सहमति है ।" ।

[फा. सं. जे-11013/27/2015-आईए-II(I)(भाग)]

मनोज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का. आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और का.आ. 1737(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2007, का.आ. 3067(अ), तारीख 1 दिसंबर, 2009, का.आ. 695(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011, का.आ. 2896(अ), तारीख 13 दिसंबर, 2012, का.आ. 674(अ), तारीख 13 मार्च, 2013, का.आ. 2559(अ), तारीख 22 अगस्त, 2013, का.आ. 2731(अ), तारीख 9 सितंबर, 2013, का.आ. 562(अ), तारीख 26 फरवरी, 2014, का.आ. 637(अ) तारीख 28 फरवरी, 2014, का.आ. 1599(अ), तारीख 25 जून, 2014, का.आ. 2601(अ), तारीख 7 अक्तूबर, 2014, का.आ. 3252(अ), तारीख 22 दिसंबर, 2014, का.आ. 382(अ), तारीख 3 फरवरी, 2015, का.आ. 996(अ), तारीख 10 अप्रैल, 2015, का.आ. 1142(अ), तारीख 17 अप्रैल, 2015, और का.आ. 1141(अ), तारीख 29 अप्रैल, 2015 द्वारा संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2015

S.O. 2572(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests vide number S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006 issued under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government directed that on or from the dates of its publication, the required construction of new projects or activities or the expansion or modernization of existing projects or activities listed in the Schedule to the said notification entailing the capacity addition with change in process and or technology shall be undertaken in any part of India only after prior environmental clearance from the Central Government or as the case may be, by the State Level Environment Impact Assessment Authority, duly constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the said Act in accordance with the procedure specified therein;

And whereas the Hon'ble Principal Bench of National Green Tribunal vide its order in Appeal No. 05 of 2014, dated 27th May, 2014, in the matter of M/s. Ardent Steel Limited, Orissa vs. Union of India, held that pelletization plants are covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 and should take prior Environment Clearance and had given one year time for obtaining such clearance to the existing pelletization plants;

And whereas a number of representations have been received from the pellet manufacturers seeking exemption from public consultation for obtaining Environment Clearance since they are already operating standalone pelletization plants and to mitigate undue hardships it has been decided to allow the Pelletization plants to exempt from the process of undertaking public consultation;

And whereas clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said Environment (Protection) Rules provides that, whenever the Central Government considers that prohibition or restrictions of any industry or carrying on any processes or operation in any area should be imposed, it shall give notice of its intention to do so;

And whereas sub-rule (4) of rule 5 of the said Environment (Protection) Rules, 1986 provides that, notwithstanding anything contained in sub-rule (3), whenever it appears to the Central Government that it is in public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3);

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the said Environment (Protection) Act, 1986 read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the said Environment Protection Rules, 1986 the Central Government hereby makes the following further amendments in the said notification, namely:—

In the said Notification, in paragraph 7, in sub-paragraph III relating to Stage (3)-Public Consultation, in clause (i), after sub-clause (g), the following sub-clause shall be inserted, namely:—

"(h) all standalone pelletization plants, which were in existence and in operation on or before the 27th day of May, 2014 and have valid consent to establish and consent to operate from the concerned State Pollution Control Board or the Union Territory Pollution Control Committee.".

[F. No. J-11013/12/2013-IA-II (I) (part)]

MANOJ KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and amended vide S.O.1737(E) dated the 11th October, 2007, S.O. 3067(E) dated the 1st December, 2009, S.O. 695(E) dated the 4th April, 2011, S.O. 2896(E) dated the 13th December, 2012 , S.O. 674(E) dated the 13th March, 2013, S.O. 2559(E) dated the 22nd August, 2013, S.O. 2731(E) dated the 9th September, 2013, S.O. 562(E) dated the 26th February, 2014 , S.O. 637(E) dated the 28th February, 2014, S.O.1599(E) dated the 25th June, 2014, S.O. 2601(E) dated 7th October, 2014 and S.O. 3252(E) dated 22nd December, 2014, S.O. 382(E) dated 3rd February, 2015, S.O. 996(E) dated 10th April, 2015, S.O. 1142(E) dated 17th April, 2015 and S.O. 1141(E) dated 29th April, 2015.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.